27/01/23

पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी के द्वारा दुनी गई पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का सहायक के अवलोकन पश्चात किया गया प्रार्थी व विपक्षीगण विपक्षी आराजी के रेकर्ड का-खातेदार हैं। हैंडबिल वाद पत्र के साथ होना है। रेकर्ड का-खातेदार के विरोधाभास के कारण बिना जाँच न्यायालय उचित नहीं समझती है। विपक्ष प्रार्थी का आवेदन विरुद्ध विपक्षीगण नोटिस तामील होने के अधीन कर स्वीकृत किया जाता है। पत्रावली निर्धारित दुबारा लेकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

प्रो०

सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:46:24 IST
Reason: SelfAttested